

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230753
SG-DL-E-27102021-230753

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]	दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 227
No. 313]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943	[N. C. T. D. No. 227

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 28 सितम्बर, 2021

सं.फा.२०/१३/२०१७/एस-१/एलआईटी/वो-I/2456-2465.—सिविल प्रक्रिया संहिता, (१९०८ का ५) की धारा २ की उपधारा (७) के तहत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्यपीठ, दिल्ली के लिए अतिरिक्त स्थाई काउंसिल के पद से सुश्री ईशा मजूमदार के त्यागपत्र को दिनांक १०/०७/२०२१ से स्वीकार करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

भैरव दत्त, उप सचिव सेवाएं-III/विधिक

SERVICES DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th September, 2021

No. F.20/13/2017/S-I/Lit/Vol-I/2456-2465.—In exercise of the powers conferred by subsection (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accept the resignation of Ms. Esha Mazumdar from the post of Additional Standing Counsel, for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi w.e.f. from 10.07.2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

BHAIRAB DUTT, Secy. Services-III/Legal

अधिसूचना

दिल्ली, 28 सितम्बर, 2021

सं.फा.२०/१३/२०१७/एस-१/एलआईटी/वो-I/2478-2487.—सिविल प्रक्रिया संहिता, (१९०८ का ५) की धारा २ की उपधारा (७) के तहत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, दिल्ली के लिए स्थाई काउंसिल के पद से श्री मनजय कुमार मिश्रा के त्यागपत्र को दिनांक ०४/०३/२०२१ से स्वीकार करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

भैरव दत्त, उप सचिव सेवाएं-III/विधिक

NOTIFICATION

Delhi, the 28th September, 2021

No. F.20/13/2017/S-I/Lit/Vol-I/2478-2487.—In exercise of the powers conferred by subsection (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accept the resignation of Sh. Mananjay Kumar Mishra from the post of Panel Counsel, for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi w.e.f. from 04.03.2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

BHAIRAB DUTT, Secy. Services-III/Legal